

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] No. 719] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2015/कार्तिक 28, 1937

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2015/ KARTIKA 28, 1937

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2015

सा.का.िन. 891(अ).--- केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (i) और धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा उपयोग की प्रास्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीित) नियम, 2007 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा उपयोग की प्रास्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति) संशोधन नियम 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा उपयोग की प्रास्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति) नियम, 2007 (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा जाता है) में, नियम 2 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ख), के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-
- "(ग) "सेक्टर विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा" से अभिहित उपभोक्ता से लागू प्ररूप 1 के खण्ड "च" में विनिर्दिष्ट सेक्टर के लिए प्रोफार्मा अभिप्रेत है।" 3. उक्त नियमों में, नियम 3 में, -
 - (i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-
 - (1) "प्रत्येक अभिहित उपभोक्ता, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्ररूप 1 में ऐसे कैलेंडर वर्ष के 30 जून को अथवा उससे पूर्व ऊर्जा खपत की प्रास्थिति पर एक रिपोर्ट इलेक्ट्रानिक रूप में संबंधित राज्य अभिहित अभिकरण को प्रस्तुत करेगा।
 - (ii) उप-नियम (2) के स्थान पर उपनियम रखा जाएगा; अर्थात् :-

4857 GI/2015 (1)

- "(2) प्ररूप 1 में प्रस्तुत आंकड़ों के ब्यौरे सेक्टर विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा से अभिहित उपभोक्ता पर लागू सेक्टर विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा से लिए जाएंगे और सम्यक रूप से भरा हुआ लागू सेक्टर विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा भी प्ररूप 1 के साथ उपाबद्ध किया जाएगा ।
- 4. उक्त नियमों में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "5. ब्यूरो को आंकड़े प्रदाय करना:- प्रत्येक अभिहित, उपभोक्ता नियम 3 के उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में इन नियमों के नियम 4 में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक अधिप्रमाणित आंकड़े ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा।"
- 5. उक्त नियमों में, प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

	"प्ररूप -1 प्रिकास ३ ने				
[नियम 3 देखें] खपत की गई कुल ऊर्जा और उत्पादन की प्रतियूनिट विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत से संबंधित सूचना का ब्यौरा					
क .	साधारण ब्यौरा	वर्णन			
1	इकाई का नाम				
2	(i) स्थापना का वर्ष (ii) रजिस्ट्रीकरण सं. (बीईई द्वारा प्रदान की गई)				
3	वह सेक्टर और उपसेक्टर जिसमें अभिहित उपभोक्ता आता है	सेक्टर उप-सेक्टर		उप-सेक्टर	
4. (i)	अभिहित उपभोक्ता की इकाई की अवस्थिति का पूरा पता (मुख्य कार्यपालक का नाम और पदनाम सहित) और मोबाइल, दूरभाष, फैक्स नं. तथा इलेक्ट्रानिक डाक - ई मेल पता				
(ii)	दूरभाष, फैक्स नं. और इलैक्ट्रानिक डाक-ई मेल पता सहित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का पता				
(iii)	ऊर्जा प्रबंधक का नाम, पदनाम ईएम/ईए रजिस्ट्रीकरण सं. पता, मोबाइल, दूरभाष, फैक्स नं. और इलैक्ट्रानिक डाक-ई मेल पता				
碅.	उत्पादन का ब्यौरा				
5	अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट विनिर्माण उद्योग				
	उत्पाद	इकाई	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (2020)	चालू वित्तीय वर्ष (2020)	
		(1)	(2)	(3)	
	उत्पाद 1	टन			
(ii)	उत्पाद 2	टन			
(iii)	उत्पाद 3	टन			
(iv)	उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादों की स्थिति में कृपया और पंक्तियां जोड़ें)	टन			
(v)	कुल समतुल्य उत्पाद	टन			

ग	अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट विनिर्माण उद्योगों का ऊर्जा खपत संबंधी ब्यौरा					
			(1)	(2)	(3)	
6.	ग्रिड/अन्य स्रोत से खरीदी गई कुल विद्युत		मिलियन कि.वा.घं.			
(i)						
(ii)	उत्पादित कुल विद्युत		मिलियन कि.वा.घं.			
(iii)	निर्यातित कुल विद्युत		मिलियन कि.वा.घं.			
(iv)	विद्युत ऊर्जा की कुल खपत		मिलियन कि.वा.घं.			
(v)	ठोस ईंधन की कुल खपत		मिलियन केकैल			
(vi)	तरल ईंधन की कुल खपत		मिलियन केकैल			
(vii)	गैसीय ईंधन की कुल खपत		मिलियन केकैल			
(viii)	ताप ऊर्जा की कुल खपत		मिलियन केकैल			
(ix)	ऊर्जा की कुल खपत (ताप +विद्युतीय)		टीओई			
(x)	एकरूपीकरण ऊर्जा की कुल खपत		टीओई			
()	(ताप+विद्युतीय)					
घ	विशिष्ट ऊर्जा खपत का ब्यौरा	<u>'</u>		,		
7. i	विशिष्ट ऊर्जा खपत		टीओई /टन			
ii	(एकरूपीकरण के बिना)		टीओई /टन			
॥ ड.	विशिष्ट ऊर्जा खपत (एकरूपीकरण) अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट विद्युत व		टाआइ /टन			
8. i.	कुल क्षमता	144	मेगावाट		3	
0. 1.						
ii	इकाई संरूपण		इकाइयों की संख्या और			
			उनकी क्षमता			
iii	वार्षिक सकल उत्पादन		मिलियन कि.वॉ.घं.			
iv	वार्षिक संयंत्र भार कारक (पीएलएफ)		%			
V	स्टेशन की सकल डिज़ाइन ताप दर		केकैल/कि.वा.घं.			
vi	स्टेशन की सकल प्रचालनात्मक ताप दर		केकैल/कि.वा.घं.			
vii	अनुषंगी विद्युत खपत		%			
viii	प्रचालनात्मक निवल ताप दर		केकैल/कि.वा.घं.			
ix	प्रचालनात्मक निवल ताप दर (प्रसामान्यीकरण)		केकैल/कि.वा.घं.			
च	सेक्टर विशिष्ट ब्यौरे	L			•	
9.	सेक्टर का नाम	उप-से	क्टर		प्रोफार्मा, जिसमें ब्यौरे	
					प्रस्तुत किए जाएंगे	
(क)	एल्यूमिनियम	परिष्करणी/स्मैल्टर		एसए₁		
		कोल्ड रोलिंग शीट			एसए 2	
(ख)	सीमेंट	सीमेंट			एसबी	
(ग)	क्लोर-एल्कली	क्लोर-अलकली			एससी	
(ঘ)	उर्वरक	उर्वरक			एसडी	
(ड.)			टेड इस्पात	एसई₁		
	स्पोंज आ				एसई2	
(च)	लुगदी और कागज	लुगदी और कागज			एसएफ	

(ন্ত)	वस्त्र्	संघटक	एसजी₁
		फाइबर	एसजी 2
		कताई	एसजी 3
		प्रसंस्करण	एसजी 4
(ज)	ताप विद्युत संयंत्र	ताप विद्युत संयंत्र	एसएच

टिप्पण 1: सभी सेक्टर विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा जिनके ब्यौरे ऊपर दिए गए हैं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

मैं/हम यह वचनबंध देता हूं/देते हैं कि प्ररूप 1 और सेक्टर विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में दी गई सूचना हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और प्ररूप 1 में प्रस्तुत आंकड़े में संबंधित सेक्टर विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में दिए गए आंकड़ों का पालन किया गया है।

	हस्ताक्षर
()
	ऊर्जा प्रबंधक का नाम
	रजिस्ट्रीकरण संख्या

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मुहर

नाम:

पदनाम:

अभिहित उपभोक्ताओं के नाम:

पता:"

 उक्त् नियमों में, उपाबंध 1 में, निम्नलिखित प्रविष्टि के अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् – "तापीय विद्युत संयंत्र"

[फा. सं. 10/2/08-ईसी]

सतीश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम सा.का.नि. 174(अ.) तारीख 2 मार्च, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3-उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2015

- **G.S.R. 891(E).**—In exercise of the power conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 56 and section 52 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following rules to amend the Energy Conservation (the form and manner for submission of report on the status of energy consumption by the designated consumers) Rules, 2007, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Energy Conservation (the form and manner for submission of report on the status of energy consumption by the designated consumers) Amendment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Energy Conservation (the form and manner for submission of report on the status of energy consumption by the designated consumers) Rules, 2007 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(c) "Sector Specific Pro-forma" means the supporting pro-forma for the sectors specified in section F of Form 1 applicable to a designated consumer.".
- 3. In the said rules, in rule 3, -
- (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

- "(1) Every designated consumer shall furnish in electronic form to the concerned state designated agency, a report on the status of energy consumption for the financial year ending on the 31st March of every calendar year on or before the 30th June of the said calendar year in Form 1.";
- (ii) for sub-rule(2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- "(2) The details of data furnished in Form 1 shall be drawn from the Sector Specific Pro-forma, applicable to a designated consumer and the applicable Sector Specific Pro-forma, duly filled in, shall be annexed to Form 1".
 - 4. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-
- "5. Supply of data to the Bureau, Every designated consumer shall furnish the data in electronic form, referred to in sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 3, duly authenticated in the manner specified in rule 4 of these rules, to the Bureau of Energy Efficiency."
- 5. In the said rules, for Form 1, the following Form shall be substituted, namely:-

	"Form 1 [See rule 3]					
Detail	Details of information regarding total energy consumed and specific energy consumption per unit of production					
Α.	General Details	Description				
1	Name of the Unit	_				
2	(i) Year of Establishment (ii) Registration No (As provided by BEE)					
3	Sector and Sub-Sector in which the Designated Consumer falls	Sector		Sub-Sector		
4. (i)	omplete address of Designated Consumer's Unit location (including Chief Executive's name and designation) with mobile, telephone, fax numbers and e-mail address.					
(ii)	Registered Office address with telephone, fax numbers, and e-mail address					
(iii)	Energy Manager's Name, designation, EM/EA Registration No., Address, Mobile, Telephone, Fax numbers and e-mail address					
В.	Production details					
5	Manufacturing Industries specified as Designated C	onsumers				
	Products	Unit	Previous Financial Year (2020)	Current Financial Year (2020)		
		(1)	(2)	(3)		
(i)	Product 1	tonne				
(ii)	Product 2	tonne				
(iii)	Product 3	tonne				
(iv)	Product (Please add extra rows in case of additional products)	tonne				
(v)	Total Equivalent Product	tonne				
C	Energy Consumption Details of Manufacturing Ind	ustries specified as	Designated Co	onsumers		
		(1)	(2)	(3)		
6. (i)	Total Electricity Purchased from Grid/Other Source	Million kWh				
(ii)	Total Electricity Generated	Million kWh				
(iii)	Total Electricity Exported	Million kWh				
(iv)	Total Electrical Energy Consumption	Million kWh				
(v)	Total Solid Fuel Consumption	Million kcal				
(vi)	Total Liquid Fuel Consumption	Million kcal				
(vii)	Total Gaseous Fuel Consumption	Million kcal				
(viii)	Total Thermal Energy Consumption	Million kcal				

Address:"

(ix)	Total Energy Consumption (Thermal + Electrical)	TOE		
(x)	Total Normalized Energy Consumption (Thermal + Electrical)	ТОЕ		
D	Specific Energy Consumption Details		<u> </u>	
7.(i)	Specific Energy Consumption(Without Normalization)	TOE/tonne		
(ii)	Specific Energy Consumption (Normalized)	TOE/tonne		
E	Power Plants specified as Designated Consumers			
8. (i)	Total Capacity	MW		
(ii)	Unit Configuration	No. of units with their capacity		
(iii)	Annual Gross Generation	Million kWh		
(iv)	Annual Plant Load Factor (PLF)	%		
(v)	Station Gross Design Heat Rate	kcal/kWh		
(vi)	Station Gross Operative Heat Rate	kcal/kWh		
(vii)	Auxiliary Power Consumption	%		
(viii)	Operative Net Heat Rate	kcal/kWh		
(ix)	Operative Net Heat Rate (Normalized)	kcal/kWh		
F	Sector specific details			
9.	Name of the Sector	Sub-Sector	Pro- forma in which the details shall be furnished	
(a)	Aluminum	Refinery/Smelter	Sa ₁	
(a)		Cold Rolling Sheet	Sa ₂	
(b)	Cement	Cement	Sb	
(c)	Chlor-Alkali	Chlor-Alkali	Sc	
(d)	Fertilizer	Fertilizer	Sd	
(e)	Iron and Steel	Integrated Steel	Se ₁	
(0)	D 1 1 D	Sponge Iron	Se ₂	
(f)	Pulp and Paper	Pulp and Paper		
		Composite	Sg ₁	
(g)	Textile	Fiber	Sg ₂	
		Spinning	Sg_3	
(h)	TI ID DI	Processing	Sg ₄	
	Thermal Power Plant	Thermal Power Plant	Sh	

Note: All Efficiency'

I/v of my know Pro-forma.

All Sector Specific Pro-forma, details of which are given aborcy's official website.	ve, are available on the Burea	u of Energy
I/we undertake that the information supplied in the Form 1 and Se nowledge and the data furnished in Form 1 has been adhered to the na.	•	
	Signa	ıture
	()
	Name of the Ener	gy Manager
	Registration	n number
Authorised Signatory and seal		
Name:		
Designation:		
Name of the Designated Consumers:		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

6. In the said rules, in Annexure 1, the following entry shall be inserted at the end, namely.—

"Thermal Power Plant"

[F. No 10/2/08-EC]

SATISH KUMAR, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published vide notification number G.S.R. 174(E) dated the 2nd March, 2007 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i).